नीलामी सूचना

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, मेरठ।

सेशन हाउस में लगे हुये एक सूखे कटहल के पेड़ तथा सूखी आम की लकडियों की नीलामी दिनांक 01.02.2020 को सायं 04:00 बजे चौदह न्यायालय भवन के सभागार कक्ष में की जानी है। जिसकी बोली में भाग लेने वाले व्यक्तियों द्वारा अंकन 500-00 रुपये(पाँच सौ) रुपये की प्रति बोलीदाता की दर से धरोहर धनराशि कैशियर, सिविल कोर्ट, मेरठ के पास नगद जमा दिनांक 01.02.2020 को समय दोपहर 11:00 बजे तक करानी होगी । प्रथम 3 उच्च बोलीदाताओं को छोड़कर शेष की धरोहर धनराशि उसी दिन वापस कर दी जायेगी । बोली की स्वीकार अथवा अस्वीकार किये जाने सम्बन्धी अन्तिम निर्णय जिला न्यायाधीश महोदय मेरठ का होगा । नीलामी को बिना कारण बताये निरस्त किया जा सकता है। बोली जिस व्यक्ति के पक्ष में छोड़ी जायेगी । उसे वन विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क भी अदा करना होगा। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार / केन्द्र सरकार द्वारा यथा समय अन्य कोई शुल्क अथवा कर जो भी देय होगा क्रेयता को अदा करना होगा । जिस व्यक्ति के पक्ष में बोली छोड़ी जायेगी। उसे बकाया धनराशि उसी दिन यानि दिनांक 01.02.2020 तक नजारत अनुभाग में जमा करनी होगी। नीलामी की सभी शर्ते नजारत अनुभाग में किसी भी कार्यदिवस में केन्द्रीय नाजिर के पास देखी जा सकती है।

16/01/2020	16.01.2020	16/1/2020
(हरबंश नारायन)	(प्रभु नारायण पांडे)	(गुरुप्रीत सिंह बावा)
सदस्य नीलाम समिति /	सदस्य नीलाम समिति /	अध्यक्ष, नीलाम समिति/
अपर जिला जज कक्ष सं0-18	विशेष न्यायाधीश (भ्र0नि0 अधि0)	अपर जिला जज कक्ष सं0-01
मेरठ।	कोर्ट सं0–2, मेरठ।	मेरठ।

नीलामी की शर्ते

दिनांक 01.02.2020 को सेशन हाउस में लगे हुये एक सूखे कटहल के पेड़ तथा सूखी आम की लकडियों की खुली नीलामी की जानी है। जिसमें सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों द्वारा निम्न शर्तो को पूर्णतया पालन करना होगा।

1. उक्त बोली खुली बोली पद्धति के अनुसार होगी अर्थात् जिस व्यक्ति की अधिकतम बोली होगी, उसके नाम में छोड़ी जायेगी।
2. बोली में भाग लेने वाले व्यक्तियों द्वारा अंकन 500-00 रुपये बतौर धरोहर धनराशि के रुप में कैशियर, सिविल कोर्ट, मेरठ के पास नगद रुप में बोली से पूर्व समय दिन 11:00 बजे तक जमा कराने होगें।
3. नीलामी जिस व्यक्ति के पक्ष में छोड़ी जायेगी उसे सम्बन्धित वृक्ष के पातन हेतु प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, मेरठ के कार्यलय से अनुमति प्राप्त करनी होगी। जिसके लिए क्रेता को आवश्यक पातन शुल्क जमा कराते हुये नियमानुसार अभिवहन अनुज्ञा प्राप्त करना आवश्यक होगा।
4. बोली में भाग लेने वाले व्यक्तियों को यह अधिकार होगा कि सम्बन्धित पेड़ एवं लकडी का निरीक्षण किसी भी कार्य दिवस में उनके द्वारा किया जा सकता है।
5. बोली जहां है, जैसा है, के आधार पर होगी।
6. नीलामी जिस व्यक्ति के पक्ष में छोड़ी जायेगी उसकी धरोहर धनराशि को छोड़कर अन्य समस्त शेष भुगतान दिनांक 01.02.2020 तक करना होगा।
7. प्रथम तीन बोलीदाताओं की धरोहर धनराशि को छोड़कर अन्य की धरोहर धनराशि उसी दिन बोली समाप्त हो जाने के पश्चात् वापिस कर दी जायेगी।
8. बोली की स्वीकृति माननीय जिला जज महोदय के अनुमोदन के अधीन होगी।
9. उक्त पेड़ को काटना व काटने के उपरान्त पेड़ तथा आम की लकड़ी को लेकर जाना होगा। काटने पर जो भी धनराशि व्यय होगी, उसको बोलीदाता को वहन करना होगा।
10. बोली को बिना कारण बताये निरस्त किया जा सकता है।
11. बोलीदाता को बोली की धनराशि के अतिरिक्त वन विभाग द्वारा निर्धारित शुल्कों को जमा किये जाने के पश्चात् ही पेड़ की लकड़ी को ले जाया जायेगा।

शर्तो की प्रति ससम्मान माननीय जिला न्यायाधीश महोदय के अनुमोदनार्थ सादर प्रस्तुत है।

दिनांक 16.01.2020

16/01/2020	16.01.2020	16/1/2020
(हरबंश नारायण)	(प्रभु नारायण पांडे)	(गुरुप्रीत सिंह बावा)
सदस्य नीलाम समिति /	सदस्य नीलाम समिति /	अध्यक्ष, नीलाम समिति/
अपर जिला जज कक्ष सं0-18	विशेष न्यायाधीश (भ्र0नि0 अधि0)	अपर जिला जज कक्ष सं0-01
मेरठ।	कोर्ट सं0–2, मेरठ।	मेरठ।

Approved
16/1/2020
Distt. Judge
Meerut